झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

विषय– खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अधीन विभागीय अधिसूचना–3905, दिनांक 11.12.2018 के माध्यम से आयोग के अधीन सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय अधिसूचना संख्या–3905, दिनांक 11.12.2018 के माध्यम से झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 32 के अधीन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत ***"झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग"*** को सचिवालय का संलग्न कार्यालय के रूप में घोषित करते हुए आयोग के अधीन निम्नलिखित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया है:–

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1	अवर सचिव	01
2	प्रशाखा पदाधिकारी	01
3	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	02
4	निजी सहायक	01
5	निम्नवर्गीय लिपिक	01
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
7	चालक	01
8	आदेशपाल	02
9	रात्रि प्रहरी	01

2. आयोग के अधीन उपर्युक्त सृजित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों के सृजन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सृजित पद के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अधीन निम्न पदों का सृजन किया जाता है –

I.

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1	आशुलिपिक	04
2	System Analyst/Programmer	01
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
कुल		**06**

II. System Analyst/Programmer के पद पर जैप आईटी से सेवा प्राप्त की जायेगी।

III. कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदो के विरूद्ध बाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त की जायेगी तथा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक, मानदेय दिया जायेगा।

IV. वाह्य श्रोत (Outsourcing) के पद स्वीकृत नहीं समझे जायेंगे, अपितु वाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मी की संख्या समझी जायेगी।

V. सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे एवं 7वॉ वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प सं० 217/वि० दिनांक 18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – खा०प्र०–01/झा०रा०खा०आ०/7–4/2017– ..../राँची, दिनांक–...............................
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – खा०प्र०–01/झा०रा०खा०आ०/7–4/2017– ..../राँची, दिनांक–...............................
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इसे झारखण्ड राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – खा०प्र०–01/झा०रा०खा०आ०/7–4/2017– 2188/राँची, दिनांक– 23/07/19
प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड/ सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रशाखा, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19
सरकार के सचिव।